न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1164–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 289/निगरानी/2005–06.

ददन प्रसाद गुप्ता अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस कमेटी,
विकासखण्ड गंगेव, तहसील सिमौर,
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

स्टेट आफ मध्यप्रदेश

——— अनावेदक

.....

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 30–6–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लालगांव ने तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि आराजी कमांक 1160/6 के रकबा 3.64 एकड़ के अंश रकबे 56X36 कड़ी यानी 2128 कड़ी पर (0.02 एकड़) आवेदक अनाधिकार रूप से काबिज है। तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की, जिसमें आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रारंभिक आपत्ति का निराकरण तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–12–04 से किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्ट के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 6–2–06 के

द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30–6–2006 के द्वारा निगरानी निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

4/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया था जिसके कारण अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर ने तहसीलदार का उक्त अंतरिम आदेश को निरस्त प्रकरण में आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति पर बोलता हुआ एवं विधिवत सुनवाई के पश्चात बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष गुण–दोष पर निराकरण होना शेष है जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के वैधानिक आदेश की पुष्टि की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 30–6–2006 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर